दिनांक 13.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 375/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की गोण्डा इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 13.07.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की गोण्डा इकाई** द्वारा परिवर्तन शुक्ला निवासी मॉडन टॉउन थाना सिविल लाइन जनपद रोहतक हरियाणा, हालपता एलबीएस चौराहा के पास थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा से मकान का फार्म 45 दुरूस्त कराने और मकान मरम्मत का काम शुरू कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में वीर अब्दुल हमीद चौराहा के पास से **नजूल अमीन गुरूचरन पाण्डेय (कार्यालय नगर पालिका परिषद गोण्डा)** पुत्र स्व0 रामचन्दर पाण्डेय निवासी ग्राम माझा तरहा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को **01 लाख रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 13.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 376/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सुलतानपुर/थाना लम्भुआ

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के पीली धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन**
- **लूट के 10 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 13.07.2026 को थाना लम्भुआ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिलखिनी तिराहे चरकहवा पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1–पुष्पेन्द्र उर्फ प्रिंस 2–आशुतोष 3–शिवा को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के पीली धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, लूट के 10 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.06.2026 को थाना लम्भुआ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लम्भुआ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद सुलतानपुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना लम्भुआ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पुष्पेन्द्र उर्फ प्रिंस निवासी ग्राम नौगवा रायदासी थाना कुडवार जनपद सुलतानपुर।

2–आशुतोष निवासी रवनिया पश्चिम थाना कुडवार जनपद सुलतानपुर।

3–शिवा निवासी पूरे भिखी का पुरवा थाना कुडवार जनपद सुलतानपुर।

बरामदगी

1–लूट के पीली धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन।

2–लूट के 10 हजार रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली कायमगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 12/13.07.2026 को थाना कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त चंदा उर्फ चाँद को घायल/गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कायमगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चंदा उर्फ चाँद निवासी ग्राम अताईपुर जदीद खटको थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना मिर्जापुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 13.07.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बहरिया स्थित सरकारी स्कूल मोड़ के पास से 03 अभियुक्तों 1–शादाब 2–शवाब 3–शिवम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शादाब निवासी ग्राम बहरिया थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।

2–शवाब निवासी ग्राम बहरिया थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।

3–शिवम निवासी ग्राम भरतापुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 07 मोटर साइकिल।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद**

दिनांक 12.07.2026 को थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बामनहेडी रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–मिथलेश 2–रोहित उर्फ मुन्ना 3–संदीप 4–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मिथलेश निवासी चाकघाट थाना चाकघाट जनपद रीवा मध्यप्रदेश।

2–रोहित उर्फ मुन्ना निवासी पकडी बाजार थाना पकडी बाजार जनपद शिवान बिहार।

3–संदीप निवासी रिविलगंज थाना रिविलगंज जनपद छपरा बिहार।

4–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 01 कार।

जनपद भदोही/थाना गोपीगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 11 लाख रूपये कीमत के 114 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **01 महिंद्रा ट्रैक्टर मय टैंकर आदि बरामद**

दिनांक 13.07.2026 को थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीटी रोड स्थित सर्विस लेन (गेराई पावर हाउस के पास) से अभियुक्त मनोज उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 11 लाख रूपये कीमत के 114 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, 01 महिंद्रा ट्रैक्टर मय टैंकर आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनोज उर्फ राहुल निवासी ग्राम आबादगढ़ थाना भवन जनपद शामली।

बरामदगी

1–लगभग 11 लाख रूपये कीमत के 114 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

3–01 महिंद्रा ट्रैक्टर मय टैंकर आदि।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना गुलावठी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–दीपक

को धारा 302/504 भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–प्रवीण 3–धीरू उर्फ धीरज को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त फारूख को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बरेली/थाना बिथरी चौनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बरेली द्वारा थाना बिथरी चौनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रोहित 2–काशीनाथ को आजीवन कारावास व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————